न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक),बांदीकुई

मु. न. 234 / 2022
न्यायालय हाजा में दर्ज दिनांक 24.05.2022
निर्णय दिनांक 06.04.2026

उनवान

1. श्रीमती शारदा देवी पत्नी स्व. श्री रामेश्वर
2. राजेन्द्र प्रसाद उर्फ लालाराम पुत्र रामेश्वर प्रसाद (फौत)

2/1 ममता शर्मा पत्नि राजेन्द्र प्रसाद उर्फ लालाराम

2/2 प्रशान्त पाराशर पुत्र राजेन्द्र प्रसाद उर्फ लालाराम

2/3 भावेश पाराशर पुत्र राजेन्द्र प्रसाद उर्फ लालाराम

3. भरेश पुत्र रामेश्वर प्रसाद

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पीपूपाडा कलां तह. बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान।

--वादीगण

बनाम

1. किशनलाल पुत्र बद्री प्रसाद
2. श्रीमती कस्तूरी देवी पत्नी जगन्नाथ प्रसाद समस्त जातियान ब्राह्मण निवासी पीपूपाडा कलां तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
3. श्रीमती मीरा देवी पत्नी जयराम जाति गुर्जर निवासी गूजरवास पीपूपाडा कलां तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
4. रघुवीर गुर्जर पुत्र रामकिशन गुर्जर
5. प्रभुदयाल गुर्जर पुत्र रामकिशन गुर्जर
6. जयराम गुर्जर पुत्र रामकिशन गुर्जर
7. गुदडस गुर्जर पुत्र रामकिशन गुर्जर

   समस्त जाति गुर्जर निवासीयान गूजरवास तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा
8. श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी किशनलाल जाति ब्राह्मण
9. श्रीमती शारदा देवी पत्नी प्रभुदयाल जाति गुर्जर समस्त निवासीयान गूजरवास पीपूपाडा कलां तहसील बसवा जिला दौसा।
10. सुरेश पुत्र किशनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पीपूपाडा कलां तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
11. सांवता पुत्र मेवाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुर्जर वास तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
12. जगदीश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पीपूपाडा कलां तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
13. प्रहलाद दत्तक पुत्र श्रीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पीपूपाडा कलां तहसील बसवा जिला दौसा हाल निवासी महेन्द्र नगर बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा।
14. हरिप्रसाद दत्तक पुत्र मांग्या जाति ब्राह्मण
15. हीरालाल दत्तक पुत्र बसन्ता जाति ब्राह्मण
16. हीरालाल दत्तक पुत्र श्रीनारायण जाति ब्राह्मण समस्त निवासीयान पीपूपाडा कलां तहसील बसवा

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
बांदीकुई

लगातार

4. [illegible] पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर
5. [illegible] पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर समस्त निवासीयान ग्राम ढाणा वाली पीपूखेड़ा हाल तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तैनात होल्डर तहसीलदार/उपपंजीयक तहसील बसवा जिला दौसा।
—प्रतिवादीगण

उपस्थित— 1 वादी अधिवक्ता श्री विश्राम दयाल एडवोकेट, प्रवीन कुमार गुर्जर एडवोकेट
2. प्रतिवादी अधिवक्ता श्री घनश्याम शर्मा, जगदेव कसाना एडवोकेट

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 6.02.2026

वाद वादीगण दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के न्यायालय में पेश हुआ प्रकरण शीघ्र सुनवाई हेतु प्रकरण न्यायालय हाजा में स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न है— ग्राम पीपूखेड़ा कस्बा पटवार हल्का पीपूखेड़ा कस्बा में स्थित भूमि खातौनी संख्या नई 102, पुरानी 102 के खसरा नं. 641 रकबा 0.42 हैक्टेयर बारानी कुल किता 01 कुल रकबा 0.42 हैक्टेयर लगानी 8.72/रू. खाता संख्या नया 103, पुराना 103 के खसरा नं. 602 रकबा 0.23 हैक्टेयर चाही अव्वल, खसरा नं. 603 रकबा 0.49 हैक्टेयर चाही अव्वल, खसरा नं. 605 रकबा 0.45 हैक्टेयर चाही अव्वल, खसरा नं. 606 रकबा 0.46 हैक्टेयर चाही अव्वल, खसरा नं. 607 रकबा 0.23 हैक्टेयर चाही अव्वल, खसरा नं. 608 रकबा 0.29 हैक्टे0 चाही अव्वल, खसरा नं. 609 रकबा 0.47 हैक्टेयर चाही अव्वल, खसरा नं. 610 रकबा 0.18 हैक्टेयर चाही अव्वल, खसरा नं 620 रकबा 0.18 हैक्टेयर चाही अव्वल, खसरा नं 1145/600 रकबा 0.09 हैक्टेयर चाही अव्वल, खसरा नं. 1148/601 रकबा 0.2050 चाही अव्वल कुल किता 11 कुल रकबा 3.2550 हैक्टेयर, व खाता संख्या नया 122, पुराना 117 के खसरा नं. 599 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै. मु. चाह, खसरा नं. 604 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै मु. चाह कुल किता 02 कुल रकबा 0.06 हैक्टेयर स्थित है। भूमि मुतदाविया के वर्णित पैरा नं. 01 वाद का अभी तक सरस—नरस के हिसाब से विधिवत तकासमा नहीं हुआ है। मौके पर पक्षकारान में आपसी समाई से बांटकर काश्त करते चले आ रहे है। भूमि मुतदाविया वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है। उपरोक्त हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है, लेकिन बिना विधिवत तकासमा हुए फसल बोते व काटते समय तथा लगान अदा करते समय एवं खेतों में होकर आये दिन जाने के लिए रास्ते को लेकर पक्षकारान में आपस में विवाद उत्पन्न हो जाता है तथा कोई भी पक्षकार बिना एक दूसरे की सहमति के राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा समय—समय पर दी जाने वाली कृषि सहायता भी प्राप्त नहीं कर सकते है। ऐसी सूरत मे भूमि मुतदाविया का सरस—नरस अनुसार तकासमा किया जाकर वादीगण के हिस्से का अलग—अलग चक व अलग से लगान कायम किया जाकर अलग—अलग पासबुक जारी की जावे व इस अमर की डिक्री अपने हक में न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 01 बहुत ही चालाक व चतुर किस्म का व्यक्ति है तथा जो वादीगण को आने—जाने में रूकावट डालता है तथा बिना विधिवत तकासमा हुए ही प्रतिवादीगण दीगर लोगों को भूमि मुतदाविया को बेचान करने पर उतारू है जिस हेतु दिनांक 27.02.2019 को प्रतिवादी सं. 01 भूमि मुतदाविया पर दीगर लोगों को भूमि बेचान करने हेतु दिखाने वास्ते लेकर आया जो कि स्ट्रेन्जर पर्सन है तथा बिना विधिवत तकासमा करवाये ही बेचान कर दिया तो वादीगण के हिस्से की भूमि व रास्ते पर लाठी के बल पर नाजायज जबरिया कब्जा कर लेंगे तथा वादीगण के हिस्से की भूमि से बेदखल कर नाजायज व जबरिया कब्जा कर लेंगे तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 द्वारा एलानिया धमकी दी गई है कि भूमि मुतदाविया पर से रास्ते में से वादीगण को नहीं निकलने दूंगा तथा दीगर लोगों को रहन, बय व हस्तान्तरित करके रहूंगा तथा काबिज काश्त में नहीं रहने दूंगा व कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तन करवा दूंगा। ऐसी सूरत में वादीगण, प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि प्रतिवादी सं. 01 स्वयं

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी (फास्ट ट्रैक)
बांदीकुई

वादीगण को अपने हिस्से पर आने –जाने में ऐजेन्ट, नौकरों, परिवारजन व अन्य मददगारान के भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं. 01 वादपत्र का जब तक विधिवत तकास्मा होकर अलग–अलग खाते कायम ना हो जावे तब तक किसी भी दीगर शख्स को रहन, बय व हस्तान्तरित करने से खाम व पुख्ता निर्माण करने से वादीगण के कब्जे, काश्त व रास्ते में आने–जाने में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने की कोशिश करने से व पेड़, पौधों को काटने व खोदने से भूमि मुतदाविया की राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार की तब्दीली करने से प्रतिबन्धित रहे व प्रतिवादी सं. 19 प्रतिवादीगण सं. 01 लगा. 18 द्वारा प्रस्तुत किये गये ऐसे किसी भी दस्तावेज रहननामे, बयनामे आदि को तस्दीक व पंजीकृत करने से बाज व मुमानअत रहे। दिनांक 27.02.2019 को ही वादीगण ने प्रतिवादी सं. 01 से भूमि मुतदाविया को दीगर लोगों को बेचान करने से मना किया व तकास्मा करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी सं. 01 ने कहा कि मैं भूमि मुतदाविया का तकास्मा नहीं करवाऊंगा तथा बिना तकास्मा करवाये ही भूमि मुतदाविया के बेचान किसी भी दीगर शख्स के हक में करके रहूंगा तथा वादीगण को जबरन बेदखल करवा दूंगा तथा वादीगण को रास्ते होकर आने–जाने नहीं दूंगा। यदि प्रतिवादीगण अपने इस नाजायज मकसद की पूर्ति में सफल हो गये तो वादीगण नुकसाने अजीम नाकाबिले तलाफी व तकमीना होगा। जिसकी पूर्ति किसी भी कदर सम्भव नहीं होगी व गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरमियान फरीकेन चल पड़ेंगे जो बाद में बर्बादी वादीगण होंगे। ऐसी सूरत में सिवाय दावा हाजा के और कोई चारा नजर नहीं आया है। इस कारण दावा हाजा पेश करना लाजमी आया है। प्रतिवादी सं. 01, 02, 08, 10, 12 लगायत 16, वादीगण के परिवारजन है तथा प्रतिवादी सं. 03 लगा. 07 व 09, 11, 17, 18 सहखातेदार होने से उन्हें भी दावा हाजा में प्रतिवादीगण बनाये है व प्रतिवादी सं. 19 राजस्थान सरकार जरिये सैम्ब होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार दावे में बनाया गया है। विनाय दावा व विनाय मुखासमत वादीगण को दिनांक 27.02.2019 को प्रतिवादीगण सं. 01 द्वारा भूमि का बेचान करने से व भूमि को कृषि से अकृषि में तब्दील करने व रास्ते में होकर आने–जाने से मना करने से व शेष प्रतिवादीगण के तकास्मा करवाने की इन्कारी से अन्दर हदूद अदालत हाजा पेश हुआ है। दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे। भूमि मुतदाविया पैरा नं. 01 वाद पत्र का सरस–नरस के हिसाब से विधिवत तकास्मा किया जाकर वादीगण का खाता सं नया 102 पुराना 102 में वादीगण का 1/45 हिस्सा व खाता संख्या 103 नया पुराना 103 में वादीगण सं. 01 लगा. 03 प्रत्येक का 751/32550 हिस्सा व खाता सं. 122 नई, पुरानी 117 में वादीगण का 1/45 हिस्सा का अलग चक, अलग खाता व अलग लगान कायम किया जाकर अलग–अलग पासबुके बनायी जावे। प्रतिवादी सं. 01 लगा. 18 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी सं. 01 लगा. 18 स्वयं या अपने ऐजेन्ट, नौकरों, घरवालो एवं अन्य मददगारान के भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं. 01 वाद पत्र में स्थित ग्राम पूर्णीनाका कस्बा तहसील बसवा का जब तक विधिवत सरस–नरस तकास्मा न होकर अलग–अलग खाते कायम न हो जावें तब तक किसी भी दीगर शख्स को किसी भी तरीके से रहन, बय व हस्तान्तरित करने से व खाम या पुख्ता निर्माण करने व प्राकृतिक तौर पर उगे हुए पेड़, पौधो को काटने व खोदने से कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करने से व वादीगण को फसल बोते व काटते समय मजाहमत पैदा करने व अपनी भूमि पर रास्ते में होकर आने–जाने से रोकने से व वादीगण की भूमि पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने की कोशिश करने से दायमि तौर पर प्रतिबन्धित किया जावे तथा भूमि मुतदाविया व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। प्रतिवादी सं. 19 भूमि मुतदाविया की बाबत प्रतिवादी सं. 01 द्वारा पेश किये गये ऐसे किसी भी रहन नामे व बयनामे व किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करने के दस्तावेजात को पंजीकृत करने से बाज व मुमानअत रहे। अन्य दादरसी जो करीने इन्साफ व मुफिद वादीगण हो बहक वादीगण बिरखिलाफ प्रतिवादीगण और अता फरमायी जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 1,8,10 की ओर से श्री कमल सिंह एडवोकेट की ओर से पावर पेश की गई। प्रतिवादी संख्या 3,4,5,6,9 की एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1,8,10 की ओर से निम्न प्रकार जवाब पेश किया गया प्रकरण में दिनांक 03.02.2026 तनकीवार निर्णय पारित करते हुये प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बांदीकुई से कुर्रेजात भिजवाने हेतु आदेश दिये गये। प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई के द्वारा उनके पत्रांक भू.अ. /2026/1170 दिनांक 25.02.2026 को कुर्रेजात न्यायालय हाजा में भिजवाये गये। प्राप्त कुर्रेजात पर

(हस्ताक्षर)

एडीजे कोर्ट (फास्ट ट्रैक)
बांदीकुई

प्रतिवादी संख्या 8,10 की ओर से आपत्ति पेश की गई— दरख्वास्त एतराज बाबत प्रस्तावित बंटवारा (कुर्रेजात) तहसीलदार बांदीकुई दिनांक 13.02.2026 प्रार्थी प्रतिवादीगण दरख्वास्त हस्ब जैल अर्ज करते है— मुकदमा उक्त में न्यायालय हाजा ने दिनांक 03.02.2026 को भूमि वादग्रस्त के प्रारम्भिक विभाजन हेतु निम्न प्रकार आदेश पारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री पारित की है— आदेश है कि दावा वादीगण तफसील प्राथमिक डिक्री स्वीकार किया जाकर ग्राम पीपूपाड़ा कलाँ पटवार हल्का पीपूपाड़ा कलाँ तह० बसवा जिला दौसा में स्थित भूमि खतौनी सं० नयी 102, पुरानी 102 के ख० न० 641 रकबा 0.42 है० बारानी कुल किता 01 कुल रकबा 0.42 है०, खाता सं० नया 103, पुराना 103 के खसरा नम्बर 602 रकबा 0.23 है० खसरा नम्बर 603 रकबा 0.49 है० खसरा नम्बर 605 रकबा 0.46 है० खसरा नम्बर 606 रकबा 0.46 है० खसरा नम्बर 607 रकबा 0.23 है। खसरा नम्बर 608 रकबा 0.28 है० खसरा नम्बर 609 रकबा 0.47 है० खसरा नम्बर 610 रकबा 0.15 है० खसरा नम्बर 620 रकबा 0.18 है० खसरा नम्बर 1145/600 रकबा 0.09 है० खसरा नम्बर 1146/601 रकबा 0.2050 है० कुल किता 11 कुल रकबा 3.2550 है०, खाता सं० नया 122 पुराना 117 के खसरा नम्बर 599 रकबा 0.03 है० खसरा नम्बर 604 रकबा 0.03 है० कुल किता 02 कुल रकबा 0.06 है० में तहसीलदार बांदीकुई मौके पर उपस्थित होकर पक्षकारान की मौजूदगी मे पक्षकारान का राजस्व रिकोर्ड दर्ज हिस्से अनुसार रास्ता मौका कब्जा आदि का ध्यान रखते हुए सरस—नरस के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र न्यायालय में भिजवायें। तहसीलदार बांदीकुई ने न्यायालय हाजा के हुक्म से सही पालना नहीं की है तथा वादी को अनुचित लाभ पहुंचाने की गर्ज से अदम जानकारी एवम अदम सूचना प्रार्थीगण बिना मौके पर पहुंचे मौके की स्थिति के कतई विपरित कतई गलत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13.02.2026 बनाकर न्यायालय हाजा मे भिजवा दिया है। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 18.03.2026 को प्रमाणित नकल विभाजन प्रस्ताव प्राप्त करके पढने से हुई है अतः दरख्वास्त एतराज बिना देरी पेश है। हस्ब प्रारम्भिक डिक्री न्यायालय हाजा विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की मौजूदगी मे किया जाना तथा समस्त पक्षकारान के हिस्से का अलग अलग बंटवारा किया जाना तथा रास्ते कायम किया जाना तथा कब्जे के अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव बनाया जाना आवश्यक है लेकिन तहसीलदार बांदीकुई ने अदम जानकारी एवम अदम सूचना प्रार्थीगण बिना मौके पर पहुंचे मौके की स्थिति के कतई विपरित कतई गलत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13.02.2026 बनाकर न्यायालय हाजा में भिजवा दिया है। तथा प्रार्थीगण के हिस्से का बिना अलग अलग बंटवारा किये गलत रिपोर्ट तैयार की है तथा रास्ते भी दर्ज नही किये है तथा पक्षकारान के वास्तविक कब्जे अनुसार कुर्रेजात तैयार नहीं किये है। भूमि खसरा नम्बर 608 के गलत प्रकार 02 हिस्से कायम कर दिये है तथा खसरा नम्बर 608/2 पर प्रार्थीगण का अर्सा गत 50—60 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त चले आने के बावजुद उसे वादी के हिस्से में दर्ज कर दिया है जो मौके की स्थिति के कतई विपरित है इसी प्रकार भूमि वादग्रस्त के उत्तर पूर्व में स्थित खेतो को आने जाने के लिए कोई रास्ता दर्ज नही किया है जिससे प्रार्थीगण की अपने खेतो में पहुंच असम्भव हो जायेगी।

अतः दरख्वास्त एतराज मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार बांदीकुई का प्रस्तावित विभाजन दिनांक 13.02.2026 को खारिज किया जाकर हस्ब प्रारम्भिक डिक्री मौके पर जाकर बमौजुदगी पक्षकारान उनके वास्तविक कब्जे के अनुसार प्रत्येक पक्षकार के हिस्से को अलग अलग बांटकर तथा रास्ते कायम किये जाकर पुनः विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात) बनाकर न्यायालय हाजा मे पेश कराया जावे।

वादी अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही कर बहस की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान तर्क किया है कि तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात मौके पर जाकर कब्जे अनुसार तैयार किये गये है। कुर्रेजात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अनुसार तैयार किये गये है। दावा कुर्रेजात अनुसार स्वीकार किया जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति कुर्रेजात को दोहराते हुये तर्क किया है कि कुर्रेजात मौके के विपरित बनाये गये है। भूमि खसरा नम्बर 608 के गलत प्रकार 02 हिस्से कायम कर दिये है तथा खसरा नम्बर 608/2 पर प्रार्थीगण का अर्सा गत 50—60 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त चले आने के बावजुद उसे वादी के हिस्से में दर्ज कर दिया है जो मौके की स्थिति के कतई विपरित है इसी प्रकार भूमि वादग्रस्त के उत्तर पूर्व में स्थित खेतो को आने जाने के लिए कोई रास्ता दर्ज नही किया है जिससे प्रार्थीगण की अपने खेतो मे पहुंच असम्भव हो जायेगा प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे मौके के आधार पर कुर्रेजात तैयार किये जावे।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
[illegible]

न्यायालय द्वारा प्राप्त कुर्रेजात पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुर्रेजात का अवलोकन किया गया। कुर्रेजात रास्ते आदि का ध्यान रखते हुये तैयार किये गये है। प्रतिवादी का कथन है कि 50-60 वर्ष कब्जा चले आने के बावजूद भी उसके वादी के हिस्से में दर्ज किया गया। उक्त कथन के समर्थन में प्रतिवादी द्वारा कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश नही किया गया है। कुर्रेजात सरस-मरस के आधार एवं विधिवत बनाये राजस्व रिकार्ड से बनाये जाना प्रतीत होता है। आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र खारिज किये जाकर तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुर्रेजात स्वीकार किये जाकर वाद को तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 1170 दिनांक 25.02.2026 के आधार पर अंतीम डिक्री किया जाकर पक्षकारान का निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
1.	किशनलाल पुत्र बद्री हिस्सा 1/5 जगदीश पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/10 नरेश पुत्र रामेश्वर ना बा हिस्सा 1/45 प्रहलाद दत्तक पुत्र श्रीनारायण हिस्सा 2/15 लालाराम पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/45 शारदा पत्नि रामेश्वर हिस्सा 1/45 हरिप्रसाद दत्तक पुत्र मान्या हिस्सा 1/5 हीरालाल दत्तक पुत्र श्रीनारायण हिस्सा 1/10 हीरालाल दत्तक पुत्र बसंता हिस्सा 1/5 कौम ब्राहमण सा. देह खातेदार	599 604 किता 2	0.03 0.03 0.06 है0
2.	किशनलाल पुत्र बद्री हिस्सा 1/5 जगदीश पुत्र रामसहाय हिस्सा 1/20 नरेश ना.बा पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/45 प्रहलाद दत्तक पुत्र श्रीनारायण हिस्सा 2/15 रमेशचन्द पुत्र रामसहाय हिस्सा 1/20 लालाराम ना.बा. पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/45 शारदा पत्नि रामेश्वर हिस्सा 1/45 हरिप्रसाद दत्तक पुत्र मान्या हिस्सा 1/5 हीरालाल दत्तक पुत्र बसंता हिस्सा 1/5 हीरालाल दत्तक पुत्र श्रीनारायण हिस्सा 1/10 कौम ब्राहमण सा. देह खातेदार	641 किता 1	0.42 0.42 है0
3.	शारदा देवी पत्नि रामेश्वर हिस्सा 1/3 नरेश पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/3 लालाराम पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/3 कौम ब्राहमण सा. देह खातेदार	606/2 किता 1	0.2253 0.2253 है0
4.	अम्बूरी पत्नि जगन्नाथ प्रसाद वर्तेम ब्राहमण सा देह खातेदार	620 610/1 किता 2	0.16 0.1327 0.2927 है0
5	किशनलाल पुत्र बद्री हिस्सा 6760/27370 वर्तेम ब्राहमण मीरा पत्नि जयराम हिस्सा 2490/27370 रामकिशन पुत्र बद्री हिस्सा 4507/27370 शारदा पत्नि प्रभुदयाल हिस्सा 2480/27370 सावता पुत्र मेवा हिस्सा 2253/27370 कौम गूजर सा. देह गूजरवास राजुबाला पत्नि किशनलाल हिस्सा 6510/27370 सुरेश पुत्र किशनलाल हिस्सा 3380/27370 कौम ब्राहमण सा. देह खातेदार	1145/600 1146/601 602 603 605 607 608 609	0.09 0.2050 0.23 0.49 0.46 0.23 0.28 0.47

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
बसवा

		606/1	0.2347
		610/2	0.0473
		किता 10	2.7370 हे0

तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त फर्दआल उक्त आदेश का भाग रहेगा तहसीलदार बांदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे साथ ही पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हिस्से में आयी भूमि पर दखल पैदा न करे। तहरीर एवं अतीव पर्चा डिक्री जारी होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 08.04.2026 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/4/26

(रामसिंह राजावत)

आरएएस

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)

[illegible]

अंतीम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(औ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

बइजलास-न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) मुकाम-बांदीकुई

नाम इजलास-रामसिंह राजावत आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) बांदीकुई

उनवान- शारदा देवी बनाम किशनलाल वगै

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर : 234/2022

आदेश है कि दावा वादीगण तकास्मा प्राथमिक डिक्री स्वीकार किया जाकर ग्राम पीपूपाड़ा खातेदारी संख्या नई 102 कस्बे पटवार हल्का पीपूपाड़ा कस्बा तहसील बसवा जिला दौसा मे स्थित भूमि कुल किता 01 कुल रकबा 0.42 पुरानी 102 के खसरा नं 641 रकबा 0.42 हैक्टेयर बारानी हैक्टेयर,खाता संख्या नया 103, पुरानी 103 के खसरा नं. 602 रकबा 0.23 हैक्टेयर चाही अव्वल, खसरा नं. 603 रकबा 0.49 हैक्टेयर चाही अव्वल, खसरा नं. 605 रकबा 0.46 हैक्टेयर चाही अव्वल, खसरा नं. 606 रकबा 0.45 हैक्टेयर चाही अव्वल, खसरा नं 607 रकबा 0.23 हैक्टेयर चाही अव्वल, खसरा नं. 608 रकबा 0.26 हैक्टे0 चाही अव्वल, खसरा नं. 609 रकबा 0.47 हैक्टेयर चाही अव्वल, खसरा नं. 610 रकबा 0.18 हैक्टेयर चाही अव्वल, खसरा-नं 620 रकबा 0.16 हैक्टेयर चाही अव्वल, खसरा नं. 1145/600 रकबा 0.2050 चाही अव्वल कुल किता 11 रकबा 0.02 हैक्टेयर चाही अव्वल, खसरा नं 1146/601 कुल रकबा 3.2550 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 122, पुरानी 117 के खसरा नं. 599 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै. मु. चाह, खसरा नं. 604 रकबा 0.03 हैक्टेयर गै. मु. चाह कुल किता 02 कुल रकबा 0.06 हैक्टेयर मे तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 1170 दिनांक 25.02.2026 के द्वारा पेश कुर्रेजात स्वीकार किये जाकर वाद को कुर्रेजात अनुसार अंतीम डिक्री किया जाता है कुर्रेजात निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार बांदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद करे साथ ही पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हिस्से मे आयी भूमि पर दखल पैदा न करे। तहरीर एवं अंतीम पर्चा डिक्री जारी होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निज........मुबलिग .... बाबत.............................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 04 सन् 2026 को जारी की गई।

(हस्ताक्षर) 8/4/26

(रामसिंह राजावत)

आरएएस

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)

बांदीकुई

खर्चा	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा	निल	निल	स्टाम्प अर्जी दावा	निल	निल
स्टाम्प बाबत नकल मुकदमा			स्टाम्प अर्जी		
वकील खर्चा मकरान			महनताना वकील		
फीस कमिश्नर			खर्चा मकरान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			फीस कमिश्नर		
मुतफर्रिक			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मीजान			मुतफर्रिक		
			मीजान		

(हस्ताक्षर) 8/4/26

दस्तखत

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)

बांदीकुई